	(iii) ऐसे स्ट्रीट; सड़क, सार्वजनिक पुल अथवा काजवे और सड़क मार्ग के किनारे से संपत्ति के पार्श्वस्थ सीमा तक की भूमि से जुड़ा नाला; (ध) सचिव जनजातीय कल्याण से अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के जनजातीय कल्याण सचिव/विशेष सचिव, प्रभारी, अभिप्रेत हैं; (न) "अनुसूची" से इस विनियम की अनुसूची अभिप्रेत है; (प) "धारा" से विनियम की धारा अभिप्रेत है; (फ) "कर" से इस विनियम के तहत उद्ग्रहणीय कर, उपकर, दर अथवा अन्य चुंगी अभिप्रेत है; (ब) "संघ राज्य क्षेत्र" से अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है; (भ) "ग्राम" से इस विनियम के प्रयोजन हेतु प्रशासक द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट जिला के गाँव अभिप्रेत है जिसमें इस प्रकार से विनिर्दिष्ट गाँवों का समूह भी शामिल है; (म) "ग्राम परिषद" से धारा 11 के तहत गठित ग्राम परिषद अभिप्रेत है;	
	अध्याय – II **ग्राम साधारण निकाय**	
	3. प्रशासक अधिसूचना के माध्यम से सरकारी राजपत्र में धारा 2 की उप धारा (V) के तहत प्रत्येक गाँव अथवा गाँवों के समूहों के लिए ग्राम साधारण निकाय गठित करेगा ।	ग्राम साधारण निकाय का गठन
	4. (1) ग्राम साधारण निकाय में ग्राम परिषद के क्षेत्र के भीतर आने वाले गाँव अथवा गाँवों के समूह से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत निकोबारी जनजातीय शामिल हैं; बशर्ते कि निकोबारी जनजाति साधारण निकाय के सदस्य होने के लिए निम्न अयोग्यता न रखते हों – (क) भारत का नागरिक न हों; (ख) आयु अठारह वर्ष से कम हों; (ग) मानसिक रूप से स्वस्थ न हों और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; और (घ) सामान्यतः गाँव जिसके लिए ग्राम साधारण निकाय गठित किया गया है उसके दायरे के भीतर निवास न करता हो ।	ग्राम साधारण निकाय का गठन